# मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

## अधिसूचना

अधिसूचना दिनांक **23.01.2026**

**भोपाल, दिनांक 20.01.2026**

क्रमांक – 125/मप्रविनिआ/2026 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 39(2)(घ), धारा 40(ग), धारा 42(2) तथा (3) एवं धारा 86(1)(ग) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2021 {आरजी–24(I), वर्ष 2021} जिन्हें एतद् पश्चात् **''मूल विनियम''** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिए निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2021 में षष्टम संशोधन**

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिए निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2021 षष्टम संशोधन विनियम, 2021 {एआरजी–24(I)(vi), वर्ष 2026}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के 'राजपत्र' में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

**2. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन :**

**मूल विनियमों में, विनियम 13.2 के स्थान पर नवीन विनियम 13.2 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

**''13.2** समस्त उपभोक्ता जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग (contract demand) धारित करते हैं तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्बाध (खुली) पहुंच (open access) की सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, को निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपेक्षित निर्बाध (खुली) पहुंच का आवेदन प्रस्तुत करते समय विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि क्या निर्बाध (खुली) पहुंच (एक) संविदा मांग तक सीमित है, या (दो) संविदा मांग से अधिक है, या फिर (तीन) उपरोक्त दोनों का संयोजन है :

परन्तु यह कि विद्यमान निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता (एक) संविदा मांग तक सीमित है, या (दो) संविदा मांग से अधिक है, या फिर (तीन) उपरोक्त दोनों के संयोजन की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु भी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे:

परन्तु आगे यह और कि यदि निर्बाध (खुली) पहुंच संविदा मांग तक प्रदान की गई हो तो ऐसे निर्बाध (खुली) पहुंच के उपभोक्ता के बिलिंग मापयन्त्र (billing meter) में अभिलेखित कुल ऊर्जा (energy) में केवल निर्बाध (खुली)

पहुंच ऊर्जा का समायोजन किया जावेगा तथा बिलिंग मांग में निर्बाध (खुली) पहुंच मॉग का समायोजन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ग्रिड में ऊर्जा को अन्तःक्षेपित (inject) करने वाले समस्त (निर्बाध) खुली पहुंच उपभोक्ता यह सुनिश्चित करने हेतु कि कतिपय अन्तर्संयोजन (interconnection) पर वास्तविक प्रेषित क्षमता (actual-sent-out capacity) उक्त अन्तर्संयोजन पर वास्तविक प्रेषित क्षमता से अधिक तो नहीं है, उचित प्रयास करेंगे :

परन्तु यह और भी कि ऊर्जा तथा मांग के सन्तुलन तथा व्यवस्थापन के कार्यान्वयन तथा निर्बाध (खुली) पहुंच अनुबन्धों हेतु समस्त प्रवेश (entry) तथा निकास (exit) बिन्दुओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी को समय–समय पर यथासंशोधित तथा यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 का कड़ाईपूर्वक अनुसरण करना होगा :

परन्तु यह और भी यदि उपभोक्ता द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा का लाभ प्राप्त किया जाता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र को साप्ताहिक आधार पर तथा मासिक आधार पर भी प्रति माह की तृतीय तिथि तक राज्यान्तरिक नवीकरणीय ऊर्जा {पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} 15 मिनट के समय–खण्ड (time block) संबंधी उपभोक्ता को आकलित (क्रेडिट) वास्तविक ऊर्जा के विवरण उपलब्ध करायेगा।

(इन उपबन्धों के क्रियान्वयन की स्पष्टता के उद्देश्य से प्रकरण सोदाहरण (illustration) **अनुलग्नक–2** के अनुसार संलग्न किये जा रहे हैं)

**टीपः– इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध मे किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।**

**आयोग के आदेशानुसार,**

**(डॉ. उमाकांत पण्डा)**
**सचिव, मप्रविनिआ**

**अनुलग्नक–दो**

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिए निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2021 षष्टम संशोधन विनियम 2021 {एआरजी–24(I)( vi), वर्ष 2026}" के विनियम 13.2 हेतु सोदाहरण**

कोई भी उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा मांग (contract demand) धारित करता हो, वह निर्बाध (खुली) पहुंच के लिए समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के विनियम 3.4 में विनिर्दिष्टानुसार वोल्टेजवार सीमाओं के भीतर अपनी किसी विद्युत मांग हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

कोई भी उपभोक्ता समन्वयन अभिकरण (nodal agency) को आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्बाध (खुली) पहुंच का आहरण निम्न विकल्पों के अनुसार कर सकता है, यथा, (एक) संविदा मांग के भीतर, (upto contract demand), (दो) संविदा मांग से अधिक हेतु (over and above contract demand), या (तीन) उपरोक्त दोनों विकल्पों के समन्वय से, अर्थात्, संविदा मांग के अन्तर्गत आंशिक खुली पहुंच मांग तथा संविदा मांग से अधिक अवशेष खुली पहुंच मांग।

**निर्बाध (खुली) पहुंच ऊर्जा की तकनीकी व्यवहार्यता, ऊर्जा समायोजन तथा बिलिंग (Technical feasibility, Energy adjustment and billing)**

**प्रकरण प्रथम : जहां निर्बाध (खुली) पहुंच संविदा मांग के भीतर हो (Open Access is within the contract demand)**

ऐसे प्रकरण में जहां कोई उपभोक्ता जो 33kV पर 4MVA की संविदा मांग धारित करता है, संविदा मांग के भीतर (अर्थात् 4MVA तक) निर्बाध (खुली) पहुंच के आहरण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करता हो :

एक. निर्बाध (खुली) पहुंच मांग को केवल संविदा मांग तक ही सीमित रखा जाएगा।

दो. आहरण (drawal) छोर पर पृथक तकनीकी व्यवहार्यता (technical feasibility) की आवश्यकता नहीं होगी।

तीन. समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्र (Availability Based Tariff Meter) की स्थापना की जाएगी।

चार. **निर्बाध (खुली) पहुंच तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य ऊर्जा तथा मांग का पृथक्करण (Energy and Demand Segregation between Open Access and Discom) :**

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन सौर,

पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में अनुसूचित ऊर्जा (energy scheduled) स्वचलित संचयन (stand alone storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथा प्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा। 15 मिनट के समय–खण्डों के दौरान निर्बाध (खुली) पहुंच मांग हेतु किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।

पांच. आहरित निर्बाध (खुली) पहुंच ऊर्जा पर कोई अतिरिक्त अधिभार (surcharge) आरोपित नहीं किया जा सकेगा।

छः. उपरोक्त समायोजनों के पश्चात्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आहरित विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ता संबंधी ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों की बिलिंग आयोग द्वारा जारी प्रयोज्य खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अधीन सुसंबद्ध टैरिफ अनुसूची (Tariff Schedule) तथा शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार की जाएगी।

सात. संविदा मांग {संविदा तथा संविदा मांग के अन्तर्गत निर्बाध (खुली) पहुंच मांग} से अधिक आहरित मांग को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के प्रति माना जाएगा तथा तद्नुसार इसकी बिलिंग की जाएगी।

**प्रकरण द्वितीय : जहां निर्बाध (खुली) पहुंच संविदा मांग से अधिक हो (Open Access is Over and above the Contract demand)**

ऐसे प्रकरणों में जहां कोई उपभोक्ता 33kV पर 4MVA की संविदा मांग धारित करता हो तथा संविदा मांग से 3MVA अधिक हेतु निर्बाध (खुली) पहुंच के आहरण हेतु विकल्प लेता है।

एक. संभरक (फीडर)/प्रणाली (System) के अर्न्तगत आहरण छोर पर तकनीकी व्यवहार्यता की आवश्यकता का प्रतिपादन 7MVA के कुल भार पर विचार करते हुए किया जाएगा {अर्थात्, संविदा मांग जो 4MVA है, में संविदा मांग से अधिक निर्बाध (खुली) पहुंच मांग पर विचार कर मान्य करते हुए जो कि 3MVA है, अर्थात् कुल मिलाकर इस उदाहरण में 7MVA है।

दो. तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन रहते हुए तथा समय–समय पर पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के खण्ड 3.4 में विनिर्दिष्ट वोल्टेज सीमाओं पर भी विचार करते हुए निर्बाध (खुली) पहुंच की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

तीन. समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्र (Availability Based Tariff Meter) की स्थापना की जाएगी।

चार. **निर्बाध (खुली) पहुंच तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य ऊर्जा तथा मांग का पृथक्करण (Energy and Demand Segregation between Open Access and Discom) :**

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा तत्संबंधी मांग तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में ऊर्जा तथा मांग अनुसूची स्वचलित संचयन (Stand alone Storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथाप्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा।

पांच. निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा आहरित तथा उपभोग की गई ऊर्जा पर अतिरिक्त अधिभार (additional Surcharge) अधिरोपित किया जाएगा (केवल केप्टिव विद्युत संयन्त्र को छोड़कर जिस हेतु कोई अतिरिक्त अधिभार आरोपित नहीं किया जाएगा)।

छः. उपरोक्त समायोजनों के पश्चात्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आहरित विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ता संबंधी ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों की बिलिंग आयोग द्वारा जारी प्रयोज्य खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अधीन सुसंबद्ध टैरिफ अनुसूची (Tariff Schedule) तथा शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार की जाएगी।

सात. कुल मांग {संविदा मांग तथा संविदा मांग से अधिक निर्बाध (खुली) पहुंच मांग का योग} से अधिक आहरित मांग को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के प्रति माना जाएगा तथा तद्नुसार इसकी बिलिंग की जाएगी।

**प्रकरण तृतीय : जहां निर्बाध (खुली) पहुंच आंशिक रूप से संविदा मांग के भीतर हो तथा अवशेष संविदा मांग से अधिक हो (Open Access is partially within the contract demand and balance over and above the contract demand)**

ऐसे प्रकरण में जहां कोई उपभोक्ता जो 33kV पर 4MVA की मांग धारित करता हो, संविदा मांग पर 4MVA हेतु निर्बाध (खुली) पहुंच तथा संविदा मांग से 3MVA अधिक आहरण का विकल्प प्रदान करता हो।

एक. संभरक (फीडर)/प्रणाली (system) आहरण छोर (drawal and) पर तकनीकी संभाव्यता पर विचार 7MVA कुल भार पर विचार करते हुए किया जाएगा (अर्थात्, संविदा मांग जो 4MVA है + संविदा मांग से अधिक खुली पहुंच मांग जो कि 3MVA है, अर्थात् इस उदाहरण हेतु, कुल मिलाकर 7MVA)

दो. तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन रहते हुए तथा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के खण्ड 3.4 में विनिर्दिष्ट वोल्टेज सीमाओं पर भी विचार करते हुए निर्बाध (खुली) पहुंच की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

तीन. समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्र (Availability Based Tariff Meter) की स्थापना की जाएगी।

चार. **निर्बाध (खुली) पहुंच तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य ऊर्जा तथा मांग का पृथक्करण (Energy and Demand Segregation between Open Access and Discom)**

**(क) संविदा मांग के अन्तर्गत खुली पहुंच हेतु ऊर्जा का समायोजन (Energy adjustment for Open Access within Contract demand)**

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में अनुसूचित ऊर्जा (energy scheduled) स्वचलित संचयन (stand alone storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथा प्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा। 15 मिनट के समय–खण्डों के दौरान निर्बाध (खुली) पहुंच मांग हेतु किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) **संविदा मांग से अधिक ऊर्जा तथा मांग समायोजन हेतु (For Energy and demand adjustment over and above contract demand)**

समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट की गई वरीयता के अनुसार राज्यान्तरिक गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों {पवन, सौर, पवन–सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन (स्टोरेज) के तथा उसके बगैर भी} के प्रकरण में वास्तविक ऊर्जा (actual energy) तथा तत्संबंधी मांग तथा पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रकरण में ऊर्जा तथा मांग अनुसूची स्वचलित संचयन (Stand alone Storage) को सम्मिलित करते हुए या अन्तर्राज्यीय नवीकरणीय ऊर्जा (Inter-State renewal energy), यथास्थिति पवन, सौर, पवन सौर मिश्रित (हाइब्रिड) मय संचयन के तथा उसके बगैर भी कोई नवीकरणीय ऊर्जा, यथाप्रयोज्य लागू पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए, को उपभोक्ता छोर पर 15 मिनट के समय–खण्डों (time blocks) में समायोजित किया जाएगा।

पांच केवल आहरित की गई निर्बाध (खुली) पहुंच ऊर्जा पर तथा संविदा मांग से अधिक निर्बाध (खुली) पहुंच से तत्संबंधी ऊर्जा की खपत पर ही अतिरिक्त अधिभार (additional surcharge) आरोपित किया जाएगा। (केप्टिव विद्युत संयन्त्र को छोड़कर जहां अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा)। संविदा मांग के अन्तर्गत निर्बाध (खुली) पहुंच मांग से तत्संबंधी आहरित तथा खपत की गई ऊर्जा पर कोई भी अतिरिक्त अधिभार आरोपित नहीं किया जाएगा।

छः उपरोक्त समायोजनों के पश्चात्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आहरित विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोक्ता संबंधी ऊर्जा प्रभारों तथा मांग प्रभारों की बिलिंग आयोग द्वारा जारी प्रयोज्य खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अधीन सुसंबद्ध टैरिफ अनुसूची (Tariff Schedule) तथा शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार की जाएगी।

सात. कुल निर्बाध (खुली) पहुंच मांग से अधिक आहरित मांग पर (संविदा मांग तक निर्बाध (खुली) पहुंच + आधिक्य संविदा मांग) को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त ऊर्जा माना जाएगा तथा तद्नुसार इसकी बिलिंग की जाएगी।